असाधारण
EXTRAORDINARY
Daman 19th August, 2015, 28 Sravana 1937 (Saka) सं. No. : 34

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

निर्वाचन आयोग
दमण एवं दीव
एफ-ब्लॉक, प्रथम तल, एम.एस. अपार्टमेंट्स,
कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-**110 001**

अ धि सू च ना

दिनांक : 25 जून, 2015

सं. 7-5/निर्वा.आयो./द.दी./2015 : जबकि, संघ प्रदेश दमण एवं दीव में जिला पंचायत के वार्डों के परिसीमन को 10 अगस्त, 2005 को अंडबार एवं निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा-185 के तहत नियुक्त निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया था।

और जबकि प्रशासक, दमण एवं दीव द्वारा अधिसूचना सं. 3/50/एस.एस./पी.आर.आई./एस.डी.पी./दमण/2012-13/57, दिनांक 17.07.2013 के तहत दमण एवं दीव के पूर्व एकल जिला पंचायत का बंटवारा किया है और दमण एवं दीव जिले के लिए पृथक जिला पंचायतों का गठन किया है।

और जबकि दमण जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या प्रशासक, दमण एवं दीव द्वारा अधिसूचना सं. 5/49/पी.आर.आई/(DELI-PAN)/2014-15/120, दिनांक 24.03.2015 के तहत 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है।

और जबकि जिला पंचायत, दमण के लिए सीटों की कुल संख्या वर्ष, 2005 में निर्धारित कुल सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है;

और जबकि दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा-55(3) में यह वर्णित है कि 'जिला पंचायत की सीटें वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार भरी जाएंगी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और इसे आबण्टित सीटों की संख्या संपूर्ण जिला पंचायत क्षेत्र में व्यवहार्य होगा।'

और जबकि दमण एवं दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ यह वर्णित है कि 'निर्वाचन अयोग हरेक ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को सुपुर्द की गई सीटों का वितरण क्षेत्रीय वार्डों के एकल सदस्य को करेगा और उन्हें नवीनतम जनगणना के आंकडों के आधार पर परिसीमित करेगा ;

और जबकि भारत जनगणना आयोग ने 2011 की जनगणना के नवीनतम जनसंख्या ऑकडे प्रकाशित किये हैं ;

और जबकि दमण की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना में 71146 से बढ़कर वर्ष 2011 की नवीनतम जनगणना में 146891 अर्थात् 106 % बढ़ी है ;

और जबकि वर्ष 2011 जनगणना ऑकडों के अनुसार जिला पंचायत दमण के विभिन्न वार्डों में जनसंख्या का मौजूदा वितरण बहुत विषम है, जो कि 3619 से 30031 है, अत: जिला पंचायत वार्डों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है ताकि जनसंख्या का विभिन्न वार्डों के बीच समान वितरण हो, ताकि इसे यथा संभव दमण एवं दीव पंचायत विनियम,2012 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बनाया जा सके;

और जबकि जिला पंचायत दमण की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जो बारह (12) हैं और इसे वर्ष 2005 में निर्धारित किया गया था जब जनसंख्या 71146 थी ;

इसलिए सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए जिला पंचायत दमण के विभिन्न वार्डों में जनसंख्या वितरण को को औचित्यपूर्ण बनाते वक्त दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अबण्टित सीट वाले हरेक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथासंभव जिला पंचायत क्षेत्र के समान हो, निर्वाचन आयोग के पास दमण जिला पंचायत के वार्डों के गठन करने के लिए कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, ताकि इन वार्डों में यथासाध्य समान जनसंख्या हो ;

EXTRAORDINARY No. : 34
DATED : 19TH AUGUST, 2015.

अत: निर्वाचन आयोग दमण एवं दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली,2014 के नियम 3(1) और (2) के साथ पठित दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 55 की उपधारा (3) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त के परिणाम स्वरूप जिला पंचायत के वार्डों की सीमाओं को औचित्यपूर्ण बनाने का निर्णय लेते हैं और एतद्द्‌वारा जिला पंचायत के 12 वार्डों के परिसीमन हेतु अपने प्रस्ताव को प्रकाशित करते हैं, जैसा कि इस संबंध में सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु 10 जुलाई,2015 को जारी अधिसूचना में संलग्न अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट है ।

इस संबन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव नीचे उल्लिखित अधिकारियों को या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य माध्यम द्‌वारा सभी कार्य दिवसों में 10 जुलाई, 2015 तक पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे के बीच जमा कराया जाना चाहिए । इस तिथि और समय के बाद प्राप्त आपत्तिओं और सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा : -

1. समाहर्ता, दमण समाहर्तालय, दमण

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण

जिला पंचायत,दमण के हरेक वार्ड के विस्तार को दर्शाने वाले विस्तृत मानचित्र पूर्वोक्त अधिकारियों के कार्यालय में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उसी अवधि के लिए नि:शुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी और www.daman.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।

(सुश्री भूपिन्दर प्रसाद)
निर्वाचन आयोग

EXTRAORDINARY No. : 34
DATED : 19TH AUGUST, 2015.

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 7-5/निर्वा.आयो./द.दी./2015, दिनांक 25 जून, 2015

जिला पंचायत, दमण की वार्डों का परिसीमन

क्र.सं.	पंचायत का नाम	वार्ड का नाम	वार्ड का विस्तार	वार्ड की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)
1.	जिला पंचायत, दमण	मरवड़	ग्राम पंचायत, मरवड़ के सभी वार्ड शामिल हैं ।	7443
2.	जिला पंचायत, दमण	कडैया	ग्राम पंचायत, कडैया के सभी वार्ड शामिल हैं ।	13221
3.	जिला पंचायत, दमण	भीमपोर	ग्राम पंचायत, भीमपोर के सभी वार्ड शामिल हैं ।	12974
4.	जिला पंचायत, दमण	वरकुंड	ग्राम पंचायत, वरकुंड के सभी वार्ड और दुनेठा ग्राम पंचायत की वार्ड सं.8 एवं 9 शामिल हैं ।	8249
5.	जिला पंचायत, दमण	दुनेठा	ग्राम पंचायत, दुनेठा के सभी वार्ड शामिल हैं ।(वार्ड सं.8 एवं 9 को छोडकर)	9576
6.	जिला पंचायत, दमण	दाभेल-ए	ग्राम पंचायत, दाभेल की वार्ड संख्या 1,2 एवं 8 शामिल हैं ।	13131
7.	जिला पंचायत, दमण	दाभेल-बी	ग्राम पंचायत, दाभेल की वार्ड संख्या 3, 4 एवं 5 शामिल हैं ।	11600
8.	जिला पंचायत, दमण	दाभेल-सी	ग्राम पंचायत, दाभेल की वार्ड संख्या 6,7,9 एवं 11 शामिल हैं ।	16600
9.	जिला पंचायत, दमण	दाभेल-डी	ग्राम पंचायत, दाभेल की वार्ड संख्या 10,12, 13 एवं 14 शामिल हैं ।	16200
10.	जिला पंचायत, दमण	कचीगाम	ग्राम पंचायत, कचीगाम के सभी वार्ड शामिल हैं ।	18434
11.	जिला पंचायत, दमण	मगरवाडा	ग्राम पंचायत, मगरवाडा और ग्राम पंचायत पतलारा के सभी वार्ड शामिल हैं ।	8296
12.	जिला पंचायत, दमण	दमणवाडा	ग्राम पंचायत, दमणवाडा एवं ग्राम पंचायत परियारी के सभी वार्ड शामिल हैं ।	7467

EXTRAORDINARY No. : 34
DATED : 19TH AUGUST, 2015.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
पंचायती राज संस्थान विभाग,
सचिवालय, मोटी दमण, दमण - 396 220.

सं.5/49/पं.रा.सं./(डेली-पान)/2014-15/63 **दिनांक 26.06.2015**

अधिसूचना

जबकि, संघ प्रदेश दमण एवं दीव द्वारा पंचायती राज संस्थान की अधिसूचना सं.5/49/पं.रा.सं./(डेली-पान)/2014-15/31, दिनांक 29.05.2015 तथा शुद्धिपत्र सं.5/49/पं.रा.सं./(डेली-पान)/2014-15/40, दिनांक 03.06.2015 के जरिये मौजूदा दमण एवं दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 के मसौदा संशोधन को क्रमश: असाधारण सरकारी राजपत्र सं.18 दिनांक 29.05.2015 और सं.19 दिनांक 03.06.2015 को प्रकाशित किया गया था ।

और जबकि, संघ प्रदेश, नई दिल्ली के निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र दिनांक 03.06.2015 के तहत यह संप्रेषित किया था कि उक्त मामले को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को "विधि एवं न्याय मंत्रालय के इस आशय के लिए मत प्राप्त करने हेतु कि जिला पंचायतों में वार्डों के वितरण के संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश इस संबंध में अधिसूचना जारी करने से पहले प्रशासक पर बाध्यकारी होगा अथवा नहीं" अग्रेषित किया गया था । उक्त स्पष्टीकरण अभिप्रतीक्षित है । इसके प्राप्त होने तक निर्वाचन आयोग ऐसा चाहता है कि पंचायत नियम में प्रस्तावित संशोधन को यथावत् रखा जाए...."।

और जबकि, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्वाचन आयोग ने अपने अर्धशासकीय पत्र सं. यू-11028/2/2015/यू.टी.एल., दिनांक 22.06.2015 के तहत यह संप्रेषित किया था कि विधिक मामलों के विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने यह मत दिया था कि "चूँकि आवधिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना संपूर्णत: निर्वाचन आयोग के अधिकार में है; यह प्रतीत होता है कि प्रशासक निर्वाचन आयोग की सिफारिशों से आबद्ध हैं। दमण एवं दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 के नियम 3 को दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 55(2) के तहत उद्धृत प्रावधानों के अनुसार संरेखित किया जा सकता है ।"

और इसलिए, दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 55 की उप-धारा 2 के साथ पठित धारा 121 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव, दमण एवं दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियमावली, 2014 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं ।

जारी.....

EXTRAORDINARY No. : 34
DATED : 19TH AUGUST, 2015.

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :**

(1) इन नियमों को दमण एवं दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नाम से जाना जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र, दमण एवं दीव में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **नियम 3(2)(डी) में संशोधन :**

मौजूदा नियमावली में नियम 3(2)(डी) के स्थान पर (डी) के बदले निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(i) एक या अधिक आदेशों द्वारा, ग्राम पंचायत वार्ड का परिसीमन निर्धारित करें;

(ii) जिला पंचायत के वार्ड परिसीमन के संबंध में अपनी सिफारिशों को प्रशासक को अंतिम निर्णय हेतु सूचित करें और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करायें।

3. **नियम 4(1) में संशोधन :**

मौजूदा नियमावली में नियम 4(1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(1) निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में नियम 3(2)(डी)(i) के अपने आदेश प्रकाशित करायेंगे ।

प्रशासक दमण एवं दीव
के आदेश एवं नामानुसार,

हस्ता/-
(एच. के. प्रेमी)
उप-सचिव (पं.रा.सं.)

....

Government Printing Press, Daman.- 08/2015 – 250.
[Price Rs. 3.00]